सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 313 / स0क0 / छात्र0 / पो0संशो0 / 2025–26 दिनॉक–29.07.2025 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1176 / सूचना / 2025 दिनांक– 30 / 07 / 2025

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्राचार्य / प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी
समस्त शिक्षण संस्था सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 313 / स0क0 / छात्र0 / पो0संशो0 / 2025–26 दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में छात्रवृत्ति पोर्टल में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–1765 / स0क0 / शिक्षा–अ / 9 / 2025–26 दिनांक 24 जुलाई 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण व जनजाति विकास विभाग से संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ओ०टी०आर० व अन्य नवीन प्राविधान छात्रवृत्ति के पोर्टल में किये गये हैं, जो निम्नवत हैं–

1– जिन छात्रों को गत वर्ष छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त हो गयी है शिक्षण संस्थान द्वारा उन छात्रों का विवरण यथा–उपस्थिति, पूर्णांक व प्राप्तांक आदि को मास्टर डाटा लॉक करने से पूर्व अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।

2– दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11–12 को छोडकर) संस्था द्वारा मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पुराने पाठ्यक्रमों को यथावत रखा जायेगा, मान्यता विस्तारित न होने पर ऐसे पाठ्यक्रमों को हटाया जायेगा तथा नवीन पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रत्येक पाठ्यक्रम को पोर्टल में फ्रीज करने की व्यवस्था प्रदान की गयी है। शिक्षण संस्था द्वारा उक्त सभी पाठ्यक्रमों को डिजिटल सिग्नेचर से फ्रीज किया जायेगा।

3– शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रमों को फ्रीज करने के उपरांत मास्टर डाटा में फ्रीज किये गये समस्त पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि भरते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा फ्रीज किये गये पाठ्यक्रमों के सापेक्ष कम संख्या में पाठ्यक्रमों को लॉक किया जाता है तो मण्डलीय उप निदेशक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फ्रीज किये गये पाठ्यक्रम का मास्टर डाटा निरंतर अनुश्रवण किया जायेगा।

4– पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि का विवरण अंकन करने के उपरांत ही मास्टर डाटा लॉक किया जायेगा। पाठ्यक्रम लॉक होने के उपरांत एक सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा, जिसमें लॉक पाठ्यक्रमों का समस्त विवरण के साथ फ्रीज पाठ्यक्रम, फीस आदि का विवरण तथा लॉक पाठ्यक्रम की सूचना नोडल अधिकारी (जिसके द्वारा मास्टर डाटा लॉक किया गया हो) के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा। यदि संस्था स्तर पर कोई पाठ्यक्रम फ्रीज / लॉक होने से छूट जाता है तो उक्त प्रक्रिया के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यवाही की जा सकती है।

5– संस्था द्वारा लॉक पाठ्यक्रम को सत्यापित करने के उपरांत विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी व जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा, जिसमें लॉक पाठ्यक्रम का समस्त विवरण के साथ समस्त पाठ्यक्रम के सापेक्ष लॉक पाठ्यक्रम की सूचना कुल सचिव / नोडल अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी / पटल सहायक (जिसके द्वारा मास्टर डाटा लॉक किया गया हो) के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा।

6– दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11–12 को छोडकर) संस्था, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा कल्याण सेक्टर के अधिकारियों के स्तर से मास्टर डाटा लॉक (जिन पाठ्यक्रमों का तीनों स्तर से सर्टिफिकेट जारी किया हो) होने के उपरांत संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन को आनलाइन अग्रसारित होगा।

7– वित्तीय वर्ष 2024–25 में कतिपय विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा संस्था द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने से अवगत कराया गया। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर पर संस्था द्वारा लॉक की गयी सीटों के सापेक्ष ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत वृद्धि की सीमा के अन्दर ही लॉक किये जाने का विकल्प दिया गया है। ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से वृद्धि सम्बन्धी प्रपत्र अपलोड किया जायेगा।

8– जिन पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित है केवल उन्ही पाठ्यकमों को लॉक करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर प्रदर्शित किया जायेगा।

9– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रत्येक छात्र का ओ०टी०आर० जनरेट किया जायेगा। ओ०टी०आर० जनरेट होने के उपरांत ही छात्र द्वारा नवीन/नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरा जायेगा।

10– विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम में लॉक की गयी सीटों की सीमा के अन्तर्गत ही संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।

11– AISHE code वैलिडेशन के समय प्राप्त रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी का नाम यदि छात्रवृत्ति पोर्टल में दर्ज है तो स्वतः सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी का ही चयन किये जाने हेतु विकल्प दिया जायेगा, जिससे कि गलत यूनिवर्सिटी का चयन न हो सकें। AISHE code वैलिडेशन के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

12– चालू वित्तीय वर्ष से इंस्टीट्यूट नोडल आफीसर, हेड आफ इंस्टीट्यूशन तथा छात्रों का बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। इस कम में सभी शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त कार्यवाही करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकृत मशीन की व्यवस्था कर ले।

13– सभी संस्था मास्टर डाटा लॉक करने अथवा सत्यापित करने से पूर्व यह चेक किया जाना अनिवार्य होगा कि किसी स्तर पर कोई विवरण गलत तो नहीं भरा गया है।

अतः जनपद मे स्थिति सभी शिक्षण संस्थाए वित्तीय वर्ष 2025–26 में छात्रवृत्ति पोर्टल में उपरोक्तानुसार किये गये प्राविधानों का अनुपालन स्वयं तथा सम्बन्धित स्तरों पर कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Mahipal Singh
Date: 29-07-2025
13:24:45

(महिपाल सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती।
5. कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।
7. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।